

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

— 00 —

क्रमांक / 215 / 183 / 2016 / 38-1

अटल नगर, रायपुर, दिनांक / 10 / 2018

27 OCT 2018

प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन, अटल नगर,  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय:- अधिकारों का प्रत्यायोजन।

— 0 —

विभाग अंतर्गत संचालनालय/महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित कार्यों के सुगम संचालन हेतु पूर्व में जारी अधिकारों का निम्नानुसार पुनरीक्षित प्रत्यायोजन तत्काल प्रभाव से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स. क्र.	विषय	वर्तमान में प्रत्यायोजित अधिकार	पुनरीक्षित प्रत्यायोजित अधिकार
1	2	3	4
1	शासकीय कार्य से राज्य से बाहर जाने की अनुमति		
	अ. प्रथम श्रेणी	प्रशासकीय विभाग/आयुक्त, उच्च शिक्षा	आयुक्त, उच्च शिक्षा/संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक
	ब. द्वितीय श्रेणी	आयुक्त, उच्च शिक्षा	आयुक्त, उच्च शिक्षा/संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक
	स. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	आयुक्त, उच्च शिक्षा	आयुक्त, उच्च शिक्षा/संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक
2	भवन/भूखण्ड/वाहन क्रय करने की अनुमति		
	अ. स्नातकोत्तर प्राचार्य	प्रशासकीय विभाग	आयुक्त, उच्च शिक्षा
	ब. स्नातक प्राचार्य तथा समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (अ. को छोड़कर)	प्रशासकीय विभाग	संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक
	स. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	आयुक्त, उच्च शिक्षा	कार्यालय प्रमुख

स. क्र.	विषय	वर्तमान में प्रत्यायोजित अधिकार	पुनरीक्षित प्रत्यायोजित अधिकार
1	2	3	4
3	अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु उच्च पद पर जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना		
	अ. प्रथम श्रेणी	प्रशासकीय विभाग	सचिव, उच्च शिक्षा
	ब. द्वितीय श्रेणी	प्रशासकीय विभाग	सचिव, उच्च शिक्षा
	स. तृतीय श्रेणी	आयुक्त, उच्च शिक्षा	संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक
	द. चतुर्थ श्रेणी	आयुक्त, उच्च शिक्षा	कार्यालय प्रमुख

स. क्र.	विषय	वर्तमान में प्रत्यायोजित अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	सेमिनार/संगोष्ठी/वर्कशाप/शोधपत्र पढ़ने हेतु राज्य से बाहर जाने की अनुमति			
	अ. प्रथम श्रेणी	प्रशासकीय विभाग	प्रशासकीय विभाग	अधिकारियों को सेमिनार/संगोष्ठी/वर्कशाप/शोधपत्र पढ़ने हेतु राज्य से बाहर जाने की अनुमति के संबंध में स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित संस्थान से सेमिनार/संगोष्ठी/वर्कशाप/शोधपत्र पढ़ने हेतु आवेदक को आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ हो तथा विद्यार्थियों का पठन-पाठन प्रभावित न हो। इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किये जाने की शर्त पर उक्त कार्यों हेतु एक सत्र में अधिकतम 15 दिनों का विशेष कर्तव्य अवकाश दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
	ब. द्वितीय श्रेणी	आयुक्त, उच्च शिक्षा	आयुक्त, उच्च शिक्षा	
2	निजी विदेश यात्रा की अनुमति			
	अ. प्रथम श्रेणी	प्रशासकीय विभाग	आयुक्त, उच्च शिक्षा	
	ब. द्वितीय श्रेणी	प्रशासकीय विभाग	संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक	
	स. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	प्रशासकीय विभाग	संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक	
3	पी.एच.डी. करने की अनुमति			
	अ. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी	प्रशासकीय विभाग/आयुक्त, उच्च शिक्षा	प्रशासकीय विभाग/सचिव, उच्च शिक्षा	
	ब. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	प्रशासकीय विभाग/आयुक्त, उच्च शिक्षा	सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा	

स. क्र.	विषय	वर्तमान में प्रत्यायोजित अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	रिमार्क
4	जी.पी.एफ. पार्ट फायनल की स्वीकृति			
	अ. स्नातको. /स्नातक प्राचार्य	आयुक्त, उच्च शिक्षा	आयुक्त, उच्च शिक्षा	
	ब. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (अ. को छोड़कर)	आयुक्त, उच्च शिक्षा	संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक	
	स. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	आयुक्त, उच्च शिक्षा	कार्यालय प्रमुख	
5	पासपोर्ट बनाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु	आयुक्त, उच्च शिक्षा	कार्यालय प्रमुख	अथवा विदेश मंत्रालय की आवश्यकतानुसार

नोट :-

1. प्रसूति अवकाश वर्तमान में प्रभावशील नियम/निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।
2. स्नातक प्राचार्यों की गोपनीय चरित्रावली में प्रथम मतांकन क्षेत्रीय अपर संचालक करेंगे, द्वितीय मतांकन आयुक्त एवं अंतिम मतांकन सचिव करेंगे, जिसका रखरखाव मंत्रालय में होगा।
3. स्नातकोत्तर प्राचार्यों की गोपनीय चरित्रावली में प्रथम आयुक्त एवं अंतिम मतांकन सचिव करेंगे, जिसका रखरखाव मंत्रालय में होगा।
4. प्राध्यापक/सहायक प्रध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी एवं रजिस्ट्रार की गोपनीय चरित्रावली का प्रथम मतांकन प्राचार्य करेंगे, द्वितीय मतांकन क्षेत्रीय अपर संचालक करेंगे एवं अंतिम मतांकन आयुक्त करेंगे, जिसका रखरखाव आयुक्त कार्यालय में होगा।
5. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली का प्रथम मतांकन प्राचार्य करेंगे, द्वितीय मतांकन क्षेत्रीय अपर संचालक करेंगे एवं अंतिम मतांकन आयुक्त करेंगे, जिसका रखरखाव क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय में होगा।
6. आयुक्त कार्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्राचार्यों को छोड़कर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली का मतांकन एवं रखरखाव पूर्व प्रचलन नियम/निर्देश के अनुसार रहेगा।

(सुरेन्द्र कुमार जायसवाल)  
सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

//4//

27 OCT 2018

पृष्ठा.क्र./१२१६/१८३/२०१६/३८-१

अटल नगर, रायपुर, दिनांक /१०/२०१८

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा गबगगविभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-.....
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, जिला-.....
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....
6. आर्डर फोल्डर।

सचिव  
27/10/2018

सचिव  
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग